न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 301/2022
आदेश दिनांक : 19.07.2024
जी.सी.एम.एस. संख्या– 2022/214

भींवाराम उर्फ भीमसैन पुत्र स्व. श्री सुरजाराम जाति जाट, आयु 87 वर्ष, निवासी शोभासर, हाल 1–आर–27, सदभावना नगर, श्रीगंगानगर राज.

बनाम

1.भैराराम पुत्र स्व. श्री सेवाराम जाति जाट, निवासी शोभासर
1/1 होल्लास पुत्र स्व. भैराराम जाति जाट निवासी शोभासर
1/2 भंवरा पुत्र स्व. भैराराम जाति जाट निवासी शोभासर
1/3 मनोहरी पत्नी स्व. भैराराम जाति जाट निवासी शोभासर
1/4 गोपी पुत्री स्वी. भैराराम जाति जाट निवासी शोभासर
1/5 कमला पुत्री स्व. भैराराम जाति जाट निवासी शोभासर
2.हनुमानाराम पुत्र स्व. श्री सेवाराम निवासी शोभासर
2/1 हनुमानाराम पुत्र स्व. श्री सेवाराम निवासी शोभासर
3.बालूराम पुत्र स्व. श्री सेवाराम निवासी शोभासर
3/1 कुन्दनाराम पुत्र स्व. श्री बालूराम जाति जाट निवासी शोभासर
3/2 मूलाराम पुत्र स्व. बालूराम जाति जाट निवासी शोभासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू सत्यमेव जयते

प्रार्थना–पत्र निर्णय दिनांक 11.11.2022 के विरूद्ध पुनर्विलोकन

प्रार्थना–पत्र में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी डिक्रीदार द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/95 निर्णय दिनांक 12.06.2007 की पालना करवाने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ में इजराय प्रस्तुत की थी जो दिनांक 02.08.2016 को दर्ज रजिस्टर की गई। वाद संख्या 41/95 के सम्बन्ध में सभी अपीलीय न्यायालयों में कोई भी अपील व स्थगन वर्तमान में पेंडिगं नहीं है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी डिक्रीदार ने समस्त प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली में प्रस्तुत कर दी गई थी। प्रार्थी डिक्रीदार के पक्ष में हुए निर्णय न्यायालय भू.प्र. अधिकारी व पदेन राजस्व अपील अधिकारी अपील संख्या 21/07 निर्णय दिनांक 20.06.2018 के विरूद्ध अयाची राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की, जिसमें राजस्व बोर्ड अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 02.12.2019 को पत्रावली प्रति प्रेषित कर दी गई जो कि दिनांक 25.03.2024 को दर्ज पत्रावली सख्या 12/2021 आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 06.04.2021 नियत की गई। जिसमें अयाचीगण अपीलाण्ट के उपस्थित ना होने के कारण दिनांक 07.12.2021 को अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारीज कर दिया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा भूलवश आदेश 21 नियम 29 का निर्णय देते हुए इजराय 02/16 को खारीज कर दिया, जबकि इजराय को खारीज नहीं किया जा सकता।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1/1 ता 1/3 तथा 3/1 व 3/2 की ओर से रमेश विस्सु एड ने वकलातनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण संख्या 1/4 व 1/5 तथा 2/1 बावजूद विधिवत तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 1/1 होलाश ने प्रार्थना–पत्र आदेश 22 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी द्वारा 2/1 के रूप में पक्षकार हनुमानराम पुत्र स्व. सेवाराम निवासी शोभासर को संयोजित किया है, जबकि हनुमानराम का निधन हो चुका है जिसकी जानकारी प्रार्थी को रही है। अतः प्रार्थना–पत्र गलत रूप से मृत व्यक्ति के खिलाफ पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1/1 होलाश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को वाद सुनवाई खारीज कर दिया गया।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

अप्रार्थी होलाश ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 व 2/1 में हनुमानाराम को संयोजित किया है जो कि मृत व्यक्ति है, जिस बाबत अप्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आदेश 22 सीपीसी को खारीज किया जा चुका है। मूल वाद डिक्री दिनांक 12.06.2007 से पूर्व हनुमानाराम का देहान्त हो चुका था, जिनके वारिसान वादी/गौण प्रतिवादी संयोजित थे, प्रार्थी द्वारा जानबूझकर न्यायालय को गुमराह किया है। अतः प्रार्थना–पत्र पुनर्विलोपन खारीज किया जावे। प्रार्थना–पत्र के जवाब में प्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत निगरानी में कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया है और ना ही अप्रार्थी द्वारा कोई स्थगन आदेश पुनर्विचार याचिका रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 का इजराय व पुनर्विलोपन याचिका में कोई औचित्य नहीं है जिसका आदेश 22 नियम 12 सीपसी में प्रावधान है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पुनर्विलोपन स्वीकार किया जावे। वाद सुनवाई अप्रार्थी होलाश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारीज किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र जवाब प्रार्थना–पत्र पुनर्विलोकन याचिका का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी की मूल अपील खारीज हो चुकी है जिस कारण आदेश दिनांक 11.11.2022 के आदेश का पुनर्विलोकन किया जावे, उपरोक्त प्रकरण में मूल अपील अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारीज हुई थी जिसे दिनांक 07.07.2023 को पुनः संख्यारूढ़ किया जाने का आदेश फरमाया जा चुका है। अतः प्रार्थना–पत्र पुनर्विलोपन सारहीन होने के कारण प्रार्थना–पत्र खारीज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का सुसंगत विधि के साथ अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि मूल वाद में विचाराधीन अपील अदम पैरवी तथा अदम हाजरी में खारीज की जा चुकी है, जिसकी कोई अपील विचाराधीन नहीं है। जबकि अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के प्रकरण संख्या भैराराम बनाम रामप्रताप आदि पत्रावली संख्या 03/23 के आदेश दिनांक 07.07.2023 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि जो अपील दिनांक 07.12.2021 को अदम पैरवी तथा अदम हाजरी में खारीज की गई थी वह रिस्टोर की जा चुकी है।

अतः मूल वाद में प्रस्तुत अपील माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर में विचाराधीन होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पुनर्विलोकन याचिका विरूद्ध राजस्व इजराय निर्णय दिनांक 11.11.2022 न्यायोचित नहीं होने के कारण खारिज किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पुनर्विलोपन याचिका खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 19.07.2024 को टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़